Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में घर में घुसकर हत्या का प्रयास करने केआरोपियों 1-अंकित, 2-नरेन्द्र, 3-इन्द्रपाल व 4-मोहित उर्फ काला को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्यके हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 04 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा–

श्री अमित खोखर एडीजीसीजनपद बागपत

मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्रकुमार कोर्ट पैरोकार थाना दोघट

अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में अभियुक्तों 1-अंकित पुत्र नरेन्द्र, 2-नरेन्द्र पुत्र सुखवीर, 3-इन्द्रपाल पुत्र सुखवीर व 4-मोहित उर्फत काला पुत्र इन्द्रपाल निवासीगण कस्बा टीकर थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर हत्या का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 27/2014 धारा 34/307/452/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 26.02.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-अंकित, 2-नरेन्द्र, 3-इन्द्रपाल व 4-मोहित उर्फ काला प्रत्येक को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी र

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम बागपत दिनाँक 26-02-2026

थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर ठगी से संबंधित 02 अभियुक्तों हर्ष उर्फ चिक्की एवं तुषार के कब्जे से बरामद 01 महिंद्रा थार एवं 01 महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियों की कुल कीमत करीब 32 लाख रूपये को धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए किया कुर्क।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में दिनांक 26.02.2025 को थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 16/25 धारा 318(4), 111(2)(बी), 308, 205 बीएनएस एवं 66-डी आईटी एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों 1-हर्ष उर्फ चिक्की पुत्र संजीव गोयल निवासी आर्यनगर, नेहरूनगर, कस्बा व थाना बड़ौत, जनपद बागपत व 2-तुषार पुत्र रघुराज सिंह निवासी गांधी रोड, रामा कॉलोनी, कस्बा व थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा स्वयं को अधिकारी बताकर वादी के आधार कार्ड में वित्तीय समस्या दर्शाकर धोखाधड़ीपूर्वक लगभग 07 लाख रूपये अपने खाते में डलवाए गए। उक्त धनराशि को आपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी गतिविधियों के माध्यम से अर्जित कर वाहनों की खरीद में प्रयोग किया गया। उक्त के क्रम में अभियुक्त हर्ष उर्फ चिक्की की 01 गाड़ी महिंद्रा थार नं0 UP-17-AB-8988 तथा अभियुक्त तुषार की 01 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो नं0 UP-17-Z-8411 की (कुल कीमत करीब 32 लाख रूपये) को श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत के आदेशानुसार कुर्क किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।

कुर्क गाडियों का विवरण-

- 01 गाड़ी महिंद्रा थार नं0 UP-17-AB-8988
- 01 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो नं0 UP-17-Z-8411

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 26.02.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 370/25 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.10.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी प्रवीन उर्फ कालू पुत्र करतार निवासी ग्राम घिटौरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.भीम पुत्र अजब सिंह, 2.रोहित पुत्र विक्रम, 3.रितिक पुत्र राधे, 4. प्रवेश उर्फ कालू पुत्र जगतू, 5. प्रदीप, 6. मोहित पुत्रगण बलीचन्द, 7. धर्मेन्द्र उर्फ धर्मी पुत्र विक्रम निवासीगण ग्राम घिटौरा थाना खेकडा जनपद बागपत व 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली गलौच कर लाठी डन्डो से वादी के भतीजे दक्ष पुत्र हरेन्द्र के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जिससे वादी के बांये पैर में गोली लगी तथा वादी को जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 **370/25** धारा **191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/352/351(3)** बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के **मु0अ0सं0 370/25** धारा **191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/352/351(3)/3(5)** बीएनएस व **3/25/27** आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित **01** अभियुक्त को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त **01** अवैध पिस्टल **.32** बोर मय मैगजीन मय **04** जिन्दा कारतूस **.32** बोर बरामद हुए है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रोहित उर्फ भीम के विरुद्ध धारा **3/25/27** आर्म्स एक्ट वृद्धि की गयी है।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित उर्फ भीम पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम घिटौरा थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **01** अवैध पिस्टल **.32** बोर।
- एक मैगजीन।
- **04** जिन्दा कारतूस **.32** बोर।

अभिरक्षा रिमांड पर लेकर बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकडा जनपद बागपत।

3- का0 897 जयवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
4-है0का0 741 टिंकू भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत।
5-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 26.02.2026

थाना सिंघावली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 02/26 धारा 2(I)(बी)/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 02/26 धारा 2(I)(बी)/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भरत पुत्र राकेश निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-

दिनाँक 26.02.2026 समय 8.17 बजे ग्राम नगला रवा रास्ते के समीप थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 241/25 धारा 140(1)/103(1)/238(क) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0- 02/26 धारा- 2(b)(I)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-व0उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2- है0का0 689 बिपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3.है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4.का0 633 जहाँगीर अनुज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 26.02.26

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 43/2026 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0स0 69/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ कॉपर का केबिल तार वजन 29 किलोग्राम बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

1-दिनांक 07.02.26 को थाना सिंघावली अहीर पर आवेदक प्रमोद पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी व ग्राम चिरचिटा के कुल 08 ट्यूबवेल से तार व ऑपरेटर चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0-43/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 25.02.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी अमित कुमार पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी व सुमित , यामीन , गजेन्द्र , राहुल निवासीगण ग्राम सैडभर व सुन्दर निवासी चिरचिटा की ट्यूबवेलों से कॉपर का केबल चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 69/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 43/2026 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 69/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ कॉपर का केबिल तार वजन 29 किलोग्राम बरामद हुआ है।

उक्त अभियोग में गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामकरन सिंह पुत्र उदय राम सिंह निवासी चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी के विवरण-

- केबिल तार वजन 29 किलोग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री युगल किशोर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5-है0का0 687 ओमप्रकाश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।